

- ✓ संस्था का नाम: अर्याकुल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मासी प्रकाश की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है जो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधी माम. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तथा दायर बाढ़ के प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के लिखित आदेश प्राप्त किए जाते हैं तथा दायर बाढ़ के उत्तरदायी होती है। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं प्रति संस्थान का कार्यवाही का उत्तरदायित्व नहीं है।
- ✓ आदेश प्राप्त नियमों, निर्देशों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्यकारी है।
- ✓ प्राविधिक शिक्षा, 2000, संयुक्त प्रदेश प्रवेश परीक्षा परिषद, 2000 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2000 द्वारा संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्मित विधि/नियमों/आदेशों/निर्देशों/निर्देशों एवं निर्देशक, संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अंतर्गत निर्देशों एवं सम्बद्धता ब्यक्त करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रदेश प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ द्वारा 2023-24 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। फीस निर्धारण समिति उत्तरदायित्व के अतिरिक्त छात्र/छात्रों से ब्यक्त के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने कर्तवी तथा ब्यक्त निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित ब्यक्त ही प्रत्येक छात्र/छात्र से प्राप्त किया जाएगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद पर 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 विनियमवली-2000, सेम्स्टर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अंतर्पालन
- ✓ फीस/आदेशों के मानक के अनुरूप समस्त संसाधन (मैट्रि, भवन, लैब उपकरण) आदि उपलब्ध है।
- ✓ संस्था फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्ण पालन करेगी।

**सम्बद्धता हेतु शर्तें-**

1	दिल्ली में फार्मसी	60	60
कॉलेज	पठनक्रम का नाम	द्वारा सत्र 2023-24	द्वारा सत्र 2023-24
		फीस/आदेशों	अनुमोदित प्रवेश क्षमता
		द्वारा सत्र 2023-24 हेतु	अनुमोदित प्रवेश क्षमता

**संस्था का कोड एवं नाम:-** 2401 - ARYAKUL INSTITUTE OF PHARMACY RAEBARELI, RAEBARELI

का नामों काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा ब्यक्त 2023-24 हेतु नवीन डिप्लोमा स्वीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2000 लखनऊ से सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 22-09-2023 को परिषद का निर्णय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अंतर्गत प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। सम्बद्धता समिति को बैठक में लिये गए निर्णय के अंतर्गत में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2000 लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अधिक प्रवेश क्षमता हेतु प्रदान की जाती है:-

**संस्था:-** प्राविधिक शिक्षा परिषद सम्बद्धता/2023/2309001  
**लखनऊ:** दिनांक: 23.09.2023  
**कक्षाधिकारी**  
**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**  
**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व फार्मैसी काउन्सिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के यू0राइज पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समितियां और उपसमितियां, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली, 2000 के प्राविधानानुसार परिषद की मांग पर अपने कर्मचारियों, भवनों और फर्नीचर को परिषद को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(अजीत कुमार मिश्र)  
सचिव।

पू0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/2309002-2309494

तदिनांक: 23.09.2023

प्रतिलिपि:-प्रधानाचार्य/निदेशक, ARYAKUL INSTITUTE OF PHARMACY RAEBARELI, RAEBARELI



(अजीत कुमार मिश्र)  
सचिव।